1177
6/11/26

105
copies

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व) : कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व) से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में तथा केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के दिशा-निर्देशन में, आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्वी जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में **'विविध हिन्दी प्रतियोगिता 2026'** का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूर्वी जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इस परिपत्र के साथ संलग्न, प्रतियोगिताओं से संबंधित नियमावली को अवश्य पढ़ें। प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम स०	प्रतियोगिता का नाम	स्थान	तारीख व समय
1	आशु-भाषण प्रतियोगिता	सभागार कक्ष (कॉन्फ्रेंस हॉल), तृतीय तल, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।	**दिनांक 27 नवम्बर 2026 समय- दोपहर 03.00 बजे।**
2	हिन्दी टिप्पण - प्रारूपण प्रतियोगिता (लिखित)	सभागार कक्ष (कॉन्फ्रेंस हॉल), तृतीय तल, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।	**दिनांक 28 नवम्बर 2026 समय- दोपहर 03.00 बजे।**
3	हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (लिखित)	कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्ष, तृतीय तल, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।	**दिनांक 30 नवम्बर 2026 समय- दोपहर 03.00 बजे।**

नोटः- 1. सभी माननीय न्यायाधीशगणों से अनुरोध है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्चमारियों को निर्धारित तारीख, समय व स्थान पर, प्रतियोगिता शुरु होने से 20 (बीस) मिनट पहले पहुँचने की अनुमति प्रदान करें।

इच्छुक कर्मचारी **'विविध हिंदी प्रतियोगिता-2026'** में भाग लेने हेतु अपना नाम निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपने पीठासीन अधिकारी/अनुभाग/शाखा प्रभारी से अग्रसारित करवाकर, **दिनांक 25 नवम्बर 2026, सांय 04.00 बजे तक, नोडल अधिकारी (पूर्व), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली** को भेज सकते हैं।

24/11/26

(साएमा जैन)
नोडल अधिकारी (पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

computer

संख्या 2406 - 2416 /राजभाषा हिन्दी अनुभाग/पूर्व/क.क.डू./दिल्ली/2026 दिनांक 05 NOV 2026

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है :-

1. निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
3. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, समस्त न्यायिक जिले/परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. लेखाधिकारी, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
8. प्रभारी अधिकारी, देखरेख अनुभाग, पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, निवेदन सहित कि उक्त दिनांक, स्थान व समय पर जो भी आवश्यक प्रतीत हो उसका प्रबंध करवाने तथा प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में सहयोग करने हेतु।
9. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु व उक्त दिनांक, स्थान व समय पर जो भी आवश्यक प्रतीत हो उसका प्रबंध करवाने तथा प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में सहयोग करने हेतु।
10. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, पूर्व जिला को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।
11. रीडर, नोडल अधिकारी (पूर्व), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।

कृपया ध्यान दें:- **इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवश्य अवगत कराएं तथा प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें।**

नोडल अधिकारी (पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में आयोजित की जाने वाली राजभाषा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का स्वरुप व नियमावली–2026

पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाने वाली राजभाषा हिंदी की विविध प्रतियोगिताओं की श्रेणियाँ निम्न प्रकार होंगी:–

क) आशु–भाषण प्रतियोगिता

ख) हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता (लिखित)

ग) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (लिखित)

उपरोक्त प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित नियमावली–

1. उक्त प्रतियोगिताओं में पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में तैनात सभी कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।
2. संबंधित जिले के राजभाषा अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी उक्त प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगें।
3. संबंधित जिले के नोडल अधिकारी/समन्वयक के न्यायालय/कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी उक्त प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगें।
4. प्रतियोगिताओं के आयोजन की तारीख, समय, स्थान इत्यादि की जानकारी परिपत्र में लिखित है।
5. ये प्रतियोगिताएँ निःशुल्क हैं।
6. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम पूर्व जिला के नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होगें और कर्मचारी प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते है:–

क) आशु–भाषण प्रतियोगिता हेतु नियमः–

i) इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी आशु–भाषण प्रतियोगिता होगी।

ii) इस प्रतियोगिता हेतु एक मिनट की समयावधि तय की जाए।

iii) प्रतियोगिता का विषय (topic) मौके पर (on the spot) ही दिया जाएगा।

iv) दिए गए विषय पर बोलते हुए दुहराव (Repetition) की स्थिति में नकारात्मक अंकन (negative marking) किया जाएगा।

ख) हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता (लिखित)

i) टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।

ii) इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पण/पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन आदि लिखने संबंधित प्रश्न होंगे।

iii) मूल्यांकन भाषा–शैली, विषयपरकता के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा।

iv) टिप्पण, प्रारूपण एवं पत्राचार के लिए हिन्दी के सरल, सहज एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें।

21/12/24।

ग) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (लिखित)

i) हिन्दी टंकण (लिखित) प्रतियोगिता कंप्यूटर पर ली जाएगी।

ii) इसकी अवधि 10 (दस) मिनट की होगी जिसमें लिखित प्रश्न-पत्र दिया जाएगा।

iii) हिन्दी टंकण (लिखित) परीक्षा का मूल्यांकन, टंकण की गति व सटीकता, दोनों के आधार पर किया जाएगा।

7. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:-

प्रथम पुरस्कार (एक)	**4000/- रुपये**
द्वितीय पुरस्कार (एक)	**3000/- रुपये**
तृतीय पुरस्कार (एक)	**2000/- रुपये**
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	**800/- रुपये**

8. उपर्युक्त विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही पूर्व जिला के नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति के नियंत्रण व देखरेख में पूर्व जिला में स्थापित राजभाषा हिन्दी अनुभाग द्वारा की जाएगी।

9. **कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते है लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।**

10. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के नोडल अधिकारी/समन्वयक एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व) का निर्णय ही अंतिम होगा तथा किसी आवश्यक बदलाव का अधिकार भी इन्हें होगा।

नोडल अधिकारी (पूर्व),
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

विविध हिन्दी प्रतियोगिता - 2026

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पूर्व)

तृतीय तल, पोटा केबिन,

कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली में आयोजित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रः-

क) आशु–भाषण प्रतियोगिता

ख) हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता (लिखित)

ग) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता (लिखित)

(नोट-एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कृपया अलग-अलग प्रपत्र भरें। इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।)

प्रतियोगिता का नाम :_____

1. कर्मचारी का नाम :_____

2. पिता/ पति का नाम :_____

3. पदनाम व कर्मचारी कूट संख्या :_____

4. वर्तमान तैनाती स्थल :_____

5. ई-मेल पता :_____

6. मोबाइल नंबर :_____

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

अग्रसारित

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)